उत्तर रेलवे

प्रधान कार्यालय, बन्दीदा हाउस. नई दिल्ली।

म्0क्र0सं0 13500/25

पं.सं. 561-ई/3 सी.पी.सी./08

दिनांक 14/10/2008.

सभी मुख्य विभाग ध्यक्ष समस्त मण्डल रेल प्रवस्थक एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय (मानक सूची के अनुसार)

first: Deduction of subscription at enhanced rates of SRPF / New Pension Scheme from arrears accruing on account of implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission.

ऐस मंत्रालय के पत्र सं 2008/DFA/VI-CPC दिनांक 01/10/2008 (आर.बी.ई.सं.138/2003) क.सं. पी.सी.-VI/25 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

इसमें उल्लिखित रेल मंत्रालय के पत्र भी सी-VI/2008/1/आर.एस.आर.पी./1 दिनांक 11/09/08 (आर.बी.ई.सं.108/2008) क्र.सं. पी.सी.-VI 2 की प्रतिलिपि मुठकंठसंठ 13500/2 के अर्नागत नेजी जा चुकी हैं।

संलग्न/यथोक्त

(Trilok Croudnari) कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

- 1. सभी कार्मिक अधिकाः ग्रिप्र. का. बड़ीदा हाउस, नई दिल्ली।
- 2. महास्तिवा;एनआएएनयू,12 चेन्सफोर्ड रोड;नयी विल्ली
- 3. महास्रियः अ०भा०आ)जा०/अ०ज०जा० रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेला कालोनी लाजपरानगर, नर्ह्रवित्सी-24
- 4. महासंचिव अ0 भ0 अापि०व० रेल कर्मचारी संगठन 171/ए,3 बसंत लेन नई दिल्ली।

